THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2006 (AMENDMENT TO ARTICLE 275)

SHRI B.J. PANDA (Orissa): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI B.J. PANDA: Sir, I introduce the Bill.

THE PREVENTION OF UNSOLICITED TELEPHONIC CALLS AND PROTECTION OF PRIVACY BILL, 2006

SHRI B.J. PANDA (Orissa): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit unsolicited telephone calls by business promoters or individuals to persons not desirous of receiving such calls and for the protection of individual privacy of citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI B.J. PANDA: Sir, I introduce the Bill.

THE UNDERDEVELOPED AND BACKWARD AREAS AND REGIONS (SPECIAL PROVISION FOR ACCELERATED DEVELOPMENT) BILL, 2006

SHRI B.J. PANDA (Orissa): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an autonomous Central Authority to ensure rapid, accelerated and overall development of poor, underdeveloped and backward areas and regions of the country, which lag behind in matters of development of economic, social, educational, technical, infrastructural and industrial fields and assure their speedy development in a planned manner and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI B.J. PANDA: Sir, I introduce the Bill.

THE PUBLIC EMPLOYMENT (RESERVATION FOR WOMEN) BILL, 2005 *-Contd.*

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, as I had stated earlier,I thank the hon. Member, Shrimati Maya Singh, for bringing forward this Bill.

Sir, this is an important Bill. But, I have got my own doubts so far as the' maintainability of this Bill and its provisions by the State Governments is concerned. It is true that some of the State Governments have made reservations in Government employment. As per the information available with me and provided by the Government In reply to the Unstarred Questions, the State Governments of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Sikkim and Tamil Nadu have got schemes for providing reservation to women in Government service. The Government of Bihar had made a provision for providing reservation to women belonging to backwards classes in Government jobs.

Now the question is: Is the Central Government in a position to direct the State Government to make provision for reservation in the Government service? In one of the replies given by the hon. Law Minister, it is stated that the matter falls in the purview of the State. The Government of India has no responsibility so far as the provision to be made by the State Government with regard to reservation is concerned. Then will it be maintainable if the provision is made by the Central Government? This is one question. So far as the objective of this Bill is concerned, it is a laudable one and, in fact, this should have been done. I don't say that the Central Government has not done anything for the empowerment of women for the last more than fifty years, but still we have to work to ameliorate the condition of women and in this regard we would like to congratulate Shrimati Maya Singh. Now, what about the employment in the organised sector? Whether it is Government or private sector, women workers constitute a significant portion of the workforce of the country. The employment of women in the organised sector, as on 31st June, 2000, was 49,50,000, that is, about 50,00,000. This figure relates to both the public and private sectors belonging to the State and the Central Governments. This constitutes 17.8 per cent of the total organised sector employment in the country. It is nearly 18 per cent. How far have we gone? Is it sufficient? About 20;50,000 women employees are absorbed in the community, social and personnel sectors and this employment to women is highest in the south India, not in the north India. Now, I come to the women employment in the organised sector.

[THE VICE-CHAIRMEN (SHRI KALRAJ MISHRA) in the Chair]

Their number is about 28,58,000 in agriculture and allied occupations, mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, water, construction, wholesale,

retail business, hotels, restaurant, transport, storage, communication, financial, insurance, real estate, social services, etc. This figure is given by the Government. In the private sector, their number is 20,91,000. In total, it comes to 49,50,000. This is the picture which is visible in the country so far as the employment of women is concerned. If we go through the employment in unorganised sector - a Bill is also coming on that - about 50 per cent of the workers in *beedi* factories are women, be in the homes or factories. In plantation sector, about 10 per cent of the workforce are women. They are in plantation sector also. Now, what is their working condition? The Government has to look into this aspect also. Even though a part of this sector is unorganised, we have to see whether they have got proper service conditions or not. Are we proud to say that our nation is looking after the welfare of these woman workers in these sectors? I don't think that we can proudly say that we have looked after them very well for the last so many years.'Now, Sir, are we serious in this regard, as I have submitted earlier? Now, is there gender discrimination? There is no doubt about it. Our Constitution clearly says that there should not be any gender discrimination, and we have to give lot of importance to the women, to their upliftment, and also to their empowerment, the principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution, in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles. The Constitution not only grants equality to women but also empowers the State to adopt measures of positive discrimination in favour of women. There is discrimination. So, now, Sir, the Government has to look into the number of woman seats in Rajya Sabha or Lok Sabha. It is coming down. Are we serious about providing reservation to women in the Parliament? Let us see what is the reply given by the Government in this regard. Now, sorry to say, I have to quote our Law Minister's reply on the question, "Whether the Government proposes to make special efforts to push through women's Reservation Bill without further delay." The answer is, "The Government proposes to bring in a Women's Reservation Bill on the basis of the agreed provisions. With the objective of evolving a consensus on Women's Reservation Bill, the Chairperson of the United Progressive Alliance convened a meeting on 22nd August, 2005, in which the constituents of the United Progressive Alliance and the Left Parties participated. Subsequently, the Prime Minister held a meeting with the leaders of the National Democratic Alliance and other leaders on 24th August, 2005. Three proposals relating to Women's Reservation Bill were considered. One was to re-introduce the lapsed Bill providing one-third reservation of seats for

women. The second was to increase the strength of the Legislature and provide one-third of the original number of seats to women. The third was to implement the proposal of the Election Commission of India, which is commonly known as the Gill formula -- the hon. Member is not sitting today -- to make it mandatory for the recognised political parties to ensure putting a minimum agreed percentage of women in State Assemblies and Parliamentary elections so as to allow them to retain the recognition with the Election Commission as political parties." Sir, our Party's President is very serious about implementation of 33 per cent reservation for women. Her late husband, Shri Rajiv Gandhi, made reservation in Panchayati Raj and also in the municipal institutions. I happened to be in charge of Rural Development at that time. He was so serious, and when the Bill failed here for want of one vote, he was so sad. I can't explain. Sir, now, his wife, who is now the Chairperson of United Progressive Alliance, is also very serious on this issue. Now, coming to what the Government has to say, "As no consensus could be arrived at, it was not possible for the Government to introduce a fresh Bill in the Parliament. The Government is making all efforts to seek a consensus on the provision so that a Bill could be brought before the Parliament at the earliest.

Sir, I am sorry to say that we, the men, in the House are not serious enough about this provision to be made for the reservation to women. We don't want it. That is our attitude. We say so many things inside and outside the Parliament to please women but we are not serious. If, at all, we are serious, it is not a big job. Sir, when BJP and some other parties are also extending their full support, what is the difficulty for us?

Sir, my submission before you is that unless we are serious about empowering the women, not only in the Government posts but also inside the Parliament, how can we set an example for others? Before saying that, we must implement the provisions here, whether it is Rajya Sabha, Lok Sabha or the State Assemblies. We have to show that we are very serious and we have done it. Sir, so many State Governments have not made these provisions, and 33 per cent or 1/3rd reservation has not been given.

Now, the question before the nation is whether the empowerment of women has to take place or not. And, if that has to take place, why are we delaying it? Sir, everybody knows about the condition of women in the country. It is not new. What is happening in the villages, what is happening in some of the slums, what is happening in the colonies where the poor people are residing, or, what is happening in the Scheduled

3.00 P.M.

Caste and Scheduled Tribe clusters? Sorry to say, women are dragged, women are raped, molested. I don't say it about all the women but, particularly, women in some sections of the society. For social reasons, what they do are all inhuman things, which we, as a civilized society, do not expect them to do like this. But they are doing it; they are committing these atrocities against women. Are we speaking against it in the Parliament in one voice? Sorry to say that we are not. Are we giving the highest respect to women inside the Parliament and outside the Parliament? Sorry to say, 'No'. We have not come up to that expectation also. So, my submission would be that even in the Government, even in the Cabinet, we should create sufficient posts; and give sufficient representation to women. Then, there will be a very clear message that here is a Government; here are the people who matters. It is very easy to say. But, if we don't do that, what can we expect from those people who are living in the clusters? So, my humble submission before the House is that we have to do something for the amelioration of the weaker sections, particularly, the women.

Sir, you know about the women empowerment project. You are very well versed on that subject. Self Help Groups for women in India have been recognized as an effective strategy for the empowerment of women in rural, as well as, urban areas. This is an opportunity for them to get economic strength to empower themselves and bring women together from all spheres of life to fight for their rights, for a cause. Seeing that the overall empowerment of women is crucially dependent on economic empowerment, women, through these Self-Help Groups, work on a range of issues, such as, health, nutrition, agriculture, forestry, etc., besides income generation activities and seeking micro trading. Therefore, the main purpose of the women empowerment project is to organise the women into effective Self-Help Groups and through the Indira Gandhi National Open University Training Certificate Programme, empower women to prepare a cadre, a network of master trainers for the sustainability of these Self-Help Groups. In Karnataka, we have got one scheme, *Sthree Shakti* Scheme. Through that, Sir, we have given programmes. That has helped the women to get economic strength. They have been working and progressing. Their programmes are successful. And the ladies who are involved in those programmes have become a model for other States also. So, Sir, this empowerment of women will give them more strength, inner strength to face

the society where atrocities are committed against these women, belonging to any caste. I don't say this caste or that caste or this religion or that religion. But, women as a class, they are a force to be reckoned with, and if we don't recognise them as a force in this country, we will be doing injustice, not only to the history but to the civilization also. Now, we are seeing the ladies, confident ladies, who can govern the nation. Sir, late Shrimati Indira Gandhi, as a woman, she had given such a strong administration. Not only that, she has given the heart to all the sections, particularly, the weaker sections, as a mother. So, my submission would be, when we recognise their strength, as it has been done by Mr. Nitish Kumar, the hon. Chief Minister of Bihar, by providing 50 per cent reservation to women in all the Panchayati Raj institutions. He has become the first person to do that. So, he is a role model. He has got faith in women strength and he says that they can serve better in administration also. That is his thinking. So, is this thinking justified? There are women in the country, in the world, who have shown that they are capable. Even in the Cabinet here, even in the earlier Government's Cabinet also, we have seen women working effectively. They have proved that they are no less than men in governing the country. So, my submission would be that it is good that the Bill has been brought forward; and we hope we have got a Minister, a capable Minister, and she is more than a man, dealing with men also. The question is very simple, whether she will be in a position to apply her mind and bring it before the Cabinet; and whether she will be in a position to convince the Cabinet that it should be provided 33 per cent reservation to women during your rule. I say if you provide 33 per cent of reservation to women in the jobs in the Central Government, public sector undertakings, organised sector and even in the private sector, they may not object. But, you have to show your mettle. You have to show your strength. Power may come and go. It is not permanent.

You have seen the power, and we have also seen the power. But what we do is the most important thing for the day. You have to show your mettle and say that yes, here is a provision. I am dead sure that Mrs. Sonia Gandhi will support you. By providing this reservation, you do your best. Let us expose the people, who are going to oppose, inside the Cabinet or outside the Cabinet also. Let us see that. So, for this purpose, I submit before you, Sir, that this Bill has to be supported subject to one rider. As far as the provision regarding the State Governments is concerned, we have to see whether it is maintainable. With these words, I conclude, Sir.

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, लोक नियोजन (महिलाओं के लिए आरक्षण) विधेयक, 2005 जो श्रीमती माया सिंह ने प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। महोदय, वास्तव में महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में आरक्षण नितान्त आवश्यक है। जहां-जहां भी पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वहां ये नतीजे निकले हैं, कि उन महिलाओं ने बड़े श्रेष्ठ और अच्छे कार्य किए हैं – चाहे वह पंचायतें हों, चाहे नगरपालिकाएं हो, चाहे नगर निगम हों। इसलिए यह तो निश्चित रूप से सिद्ध हो चुका है कि महिलाएं, पुरूषों से कहीं अच्छा प्रशासन कर सकती है, अच्छी व्यवस्था कर सकती हैं। इसलिए इस विधेयक का पारित होना बहुत आवश्यक है।

महोदय, अभी हमोर बंधु ने कहा कि यह स्टेट का Subject हैं, निश्चित रूप से यह स्टेट का Subject है, लेकिन केन्द्र को भी संविधान में संशोधन करके सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और केवल विधानसभा, लोक सभा या राज्य सभा के लिए नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में उनके लिए आरक्षण की तुरन्त आवश्यकता है – चाहे वह नौकरियों में हों, चो बैंकों में हो, चाहे अन्य निगमों में हो। हर क्षेत्र में महिलाओं का आरक्षण अगर 33 प्रतिशत होगा, तो निश्चित रूप से इस देश का बहुत भला होगा। मैं पुनः श्रीमती माया सिंह जी के इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : श्री शरद अनंत राव जोशी जी तो इस समय मौजूद नहीं हैं। सुश्री प्रमिला बोहीदार जी, अब आप बोलिए।

MS. PRAMILA BOHIDAR (Orissa): Sir, the Public Employment (Reservation for Women) Bill is a noble step to empower women.

The statement of objects and reasons clearly states why such a law is required. There have been several laws in force to provide justice, relief, and dignity to women in our society. Proper implementation and execution of these laws have shown positive results. Women, who form nearly 50 per cent of the population, have benefited from such steps.

But economic empowerment has not received much attention in the case of women. Women have proved that they are not only as good as men, but are also better. This has been proved this year in the results of the All-India Civil Services Examination. The first position has been secured by a young lady. There are so many instances when women have proved that they are better than men. This is an indication that they need a better deal. This Bill is a step towards that direction.

There have been several attempts to provide better representation to women in Parliament and State Legislatures. But the Governments in the past and also present have not taken any steps to introduce the Bill for Reservation for women in our legislatures. But I am hopeful that sooner or later this will be done. Now, at least, a small step, this Bill, must receive

due consideration of this House and deserves to be adopted. If this is enacted, in my opinion, there will be two positive results. First, women of worth will be able to contribute their talent and ability in public service and public governance. Their representation will reflect the hopes and aspirations of women, who are a major force in the society. Secondly, these employed women in the organised public sector will contribute substantially to their family income. This will help to strengthen the family economy and the standard of living. In addition, women will be involved in public governance and this will break the sense of isolation and rejection in the society. -"

The great leader, late Biju Patnaik, who is the guardian-angel of my party, Biju Janata Dal, was emphatic in his view that only women could save this country from ruin and chaos. He was the first in the country to reserve one-third of seats in Panchayati Raj institutions for women well before the Constitutional amendment. He appointed tribal women as advisers for policy-making for tribal areas and gave tribal women police powers to enforce prohibition. He was the first to reserve 30 per cent of all Government jobs for women candidates 14 years ago as Chief Minister of Orissa.

I, therefore, not only whole-heartedly support the Bill, but also urge upon this House to adopt it and enact the law. It will be a fitting tribute to the memory of our great leader, late Biju Patnaik. Thank you, Sir.

डा0 प्रभा ठाकुर (राजस्थान) **:** धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। श्रीमती माया सिंह द्वारा प्रस्तुत 'लोक नियोजन (महिलाओं के लिए आरक्षण) विधेयक, 2005' जो महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण से सम्बधित है, मैं इसका स्वागत करती हूं। महोदय, इस सदन में अनेक बार चर्चाएं हुई हैं, महिलाओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, उनको शोषण, उत्पीडन से बचाने के लिए, उनको बेहतर अवसर देने के लिए, कई कानून भी बने हैं। इसी सरकार के दौरान महिलाओं से सम्बन्धित दो बड़े ही महत्वपूर्ण कानून बने हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए "घरेलू हिंसा उत्पीडन निवारण विधेयक" और "हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक" जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करता है। ये बड़े महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए है। उसी कड़ी में यह एक बड़ा विचार है और इसकी आज जरूरत भी है। जरूरत इसलिए भी है कि बात तो करते हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण की, सभी लोग बात करते हैं, लेकिन जब तक इस विचार पर पूरे तैयार पर ऐसा कोई नियम कानून न बने, क्योंकि सशक्तीकरण के लिए उसी की जरूरत होती है, जो कहीं समाज में कमजोर है, दबा हुआ है, पिछड़ा है। दुर्भाग्य से आजादी के इतने वर्षो के बाद भी आज तक महिलाओं की स्थिति दयनीय है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, बालिकाएं पढ़ रही हैं, शिक्षित हो रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं, लड़कियां अपने आपको प्रमाणित कर रही हैं, अपनी रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं, लड़कियां अपने आपको प्रमाणित कर रही हैं, अपनी योग्यता को प्रमाणित कर रही हैं, अच्छे रिजल्ट ला रही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, तो

100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले इस देश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं , वहां अभी तक महिलाएं, बच्चियां कई बार खाली अक्षर ज्ञान तक, प्राइमरी तक पढ़ पाती है, मिडल तक पढ़ पाती है ।

उन की शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान के बराबर रह जाती है । तो तब तक महिलाएं शिक्षित नही होगी, बालिकांए उतनी शिक्षा नहीं पा लेगी कि उन्हें कही नौकरी मिल सके तो उन का उत्थान नहीं होगा क्योंकि नौकरी के लिए उन का शिक्षित होना जरूरी है । इस के लिए ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाशाली लड़कियां हैं, जो निर्धन बालिकाएं है, जो आर्थिक दृष्टि से समर्थ नहीं है, उन्हें हर तरह की शिक्षा दिलाने के लिए यह प्रावधान हर राज्य में हो कि ऊंची-से-ऊंची शिक्षा, चाहे वह तकनीकी हो, वाणिज्य से संबंधित हो, और चाहे विज्ञान से संबंधित हो, ले सकें । हमारी प्रतिभाशाली बालिकांए इसलिए शिक्षा से वंचित न रहे क्योंकि उन के परिवार के लोग आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है । जहा तक वे पढ़ना चाहे, उन के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होना जरूरी है ताकि उन बच्चियों को , उन बालिकाओं को आत्म-निर्भर बनने का, स्वावलंबी बनने का अवसर मिले ।

मान्यवर, हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक के द्वारा एक बड़ा अच्छा काम यह हुआ है कि परिवार में, समाज में कन्या की जो द्वितीय श्रेणी की स्थिति बनी थी, उस में बदलाव आया है । यह एक बुरी सामाजिक सोच थी जिसे बदलने में मेरे विचार में यह विधेयक आगे बहुत कारगर रहेगा। जहां समाज में सोच ही यह है कि लड़के को कुलदीपक और लडकी को पराया धन समझा जाए तो बेसिक बुराई ही वहीं से शुरू होती है । लड़का कुलदीपक इसलिए है क्योंकि वह कुल में रहता है , कमाकर लाता है, आर्थिक योगदान देता और परिवार का भरण-पोषण करता है । कुल का नाम भी उन्हीं से चलता है । जब बालिकाओ को भी समान रूप से वही दर्जा मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरा विचार है कि बालिका या महिला की समाज में जो द्वितीय श्रेणी की सोच है और कन्या की भ्रूण हत्या की जाती है, उस में कमी आएगी । यह बहुत जरूरी है क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या का कारण उन में शिक्षा का अभाव है, लड़कियों को परिवार में, समाज में बोझ मानने की प्रवृत्ति के कारण है । हाल ही में शिक्षित समाज में यह चेतना आई है कि बच्चे दो ही चाहिए । अगर दो लड़के हो जाएं तो चलेगा, लेकिन दो लड़कियां नहीं चाहिए । इसलिए कन्या की कोख में ही बलि दे दी जाती है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए इस सरकार में एक महत्वपूर्ण विधेयक आया है । जिससे कि पुत्री को भी पुत्र के समान पैतृक संपत्ति में भागीदारी मिली है । मुझे लगता है कि इस कानून से उस का आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है । उस की स्थिति समाज में परिवार में सशक्त होगी जिस से घरेलू हिंसा, शोषण व उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी । साथ ही उस की अपनी एक पहचान बनेगी और कन्या या महिला को दूसरी श्रेणी का व्यक्ति मानने की जो मानसिकता है , उस सोच में कहीं बदलाव आएगा ।

महोदय, जब भी किसी समाज या समुदाय के लिए आरक्षण का सवाल उठता है तो उस के पीछे उस वर्ग का कमजोर होना, दबा हुआ होना या शोषित होना है फिर चाहे वे एस0सी0/एस0टी0 हों, पिछड़े वर्ग के हों या महिलाएं हो । महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग की हों, दुर्भाग्य से इस देश में हर समाज में, समुदाय में वह दबी व कुचली स्थिति में रही है । इस देश में महिलाओं ने अपने को मां के रूप में, बहन-बेटी के रूप में या पत्नी के रूप में हमेंशा अपने आप को खाद बनाया है । पुरूषों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए,मां ने अपने बेटे के लिए अपनी उम्र खपाइ है । पत्नी ने अपने पति के उत्थान और विकास के लिए पूरा जीवन दिया है । अब समाज में यह समय और यह चेतना आई है कि महिलाएं कैसे सशक्त हो, मजबूत हों और

आगे बढ़े क्योंकि इस पुरूष प्रधान समाज में जब तक जिसे कहा जाता है कि अगर गाड़ी का केवल एक ही पहिया सशक्त होगा, दूसरा कमजोर बना रहेगा तो समग्र विकास की गाड़ी कैसे चलेगी?

महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझ से पहले जिन भाइयों ने यहां विचार व्यक्त किए, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ अपने विचार रखते हुए कहा कि जब महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण की बात आती है तो सामाजिक सशक्तीकरण, शैक्षणिक सशक्तीकरण के साथ राजनीतिक सशक्तीकरण भी कही एक जरूरी भूमिका निभाता है। महोदय, जब हम राजनीतिक सशक्तीकरण की बात करते हैं तो तमाम महिलओं, जो यहां जो सदन में बैठी हैं, चाहे सदन के बाहर हैं या चाहे विधान सभाओं में हैं चाहे पंचायतों में या आज आम घरेलु महिलाएं है, सबके दिमाग में एक विचार आता है कि आखिर महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ यह विधेयक, क्यों इतने अरसे से संसद मे लम्बित है? कई सरकारें आई और चली गई हैं। सर, कहने के लिए सब लिप सिम्पैथी दिखाते हैं? कई सरकारें आई और चली गई। सर, कहने के लिए सब लिप सिम्पैथी दिखाते हैं कि यह विधेयक पारित होना चाहिए, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण होना चाहिए, उन्हें हक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।

जब सदन से बाहर बात करते हैं, तो कई बार उसे हल्के रूप में कहा जाता है कि अब तो महिलांए राज करेगी। महिलाओं को घर में कहा जा रहा है, कि यह देवी है, लक्ष्मी है, घर का राज चला रही है। महिलाएं जब-जब सत्ता में आई हैं, जुडी हैं, इस देश में इन्दिरा गांधी जैसी महिला भी हुई हैं, जिनके नाम का पूरे विश्व में लोहा माना गया है। अनेक ऐसी-ऐसी महिलाएं हुई हैं, चाहे ब्रिटेन में मारग्रेट थेचर हुई हो, चाहे श्रीलंका में चाहे बांग्लादेश में हुई हों, या चाहे पाकिस्तान में हुई हों, महिलाएं जब भी आई हैं, उन्होंने अपने आपको प्रमाणित किया है, लेकिन उन्हें अवसर तो मिले, उन्हें अवसर कौन देगा?

महिलाओं ने तो हमेशा पुरूषों के लिए, उनके उत्थान के लिए सोचा है। अब इस बार पुरूषों की बारी है कि वे उनके बारे में सोचें। सब सोचें कि वे कैसे आगे आएं, वे कैसे विकसित हों, उसमें वे अपना योगदान दें, तभी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह एक समग्र विकास की बात है। जिस तरह महिलाएं पुरूषों के उत्थान से जुडी रही हैं, ऐसे ही पुरूष भी जुड़ेंगे, तभी महिलाओं का पूरा विकास हो सकेगा। मान्यवर, केवल विधान सभाओं और लोक सभा में इस पर चर्चा होने से और कानून बन जाने से नहीं होगा, इसके लिए सामाजिक सोच में एक बहुत भारी बदलाव की भी आवश्यकता है , तभी यह बदलाव होगा।

महोदय, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाना बहुत प्रांसगिक हैं। क्योंकि वाकई सचमुच में होता यह है, राजस्थान में तो पिछली सरकार के समय में, जब वहां पिछली सरकार कांग्रेस की थी, नौकरियों में महिलओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन सर, मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण मिले, क्योंकि जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उन्हें नहीं लिया जाएगा, वहीं दूसरे दर्जे की नागरिकता वाली बात है। और भी कई तरह की अग्नि-परीक्षाओं से महिलाओं को गुजरना होता है, यह भी सब जानते हैं। यह सही है। इसलिए जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण दिया ही जाए, ऐसी व्यवस्था हो, तब तक उन्हें यह सामाजिक न्याय पूरा मिल नहीं सकता है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं पढ़-लिख भी रही हैं, शिक्षित भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी वे घूम रही हैं, भटक रही हैं, उन्हें नौकरियां

मिल पाना सुगम नहीं होता है। उसके लिए कई तरह से हथकंडे अपनाना कोई महिलाओं के बूते की भी बात नहीं होती। महोदय, इसके लिए यह व्यवस्था होनी जरूरी है कि उन्हें एक अवसर मिले कि 33 प्रतिशत आरक्षण की यह व्यवस्था लागू हो और इसकी एक वार्षिक मॉनिटरिंग भी जरूरी है, हर सरकार में, क्योंकि मैंने देखा यह है कि 30 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बावजूद महिलाओं के उतने पद भरे ही नहीं जा रहे हैं। कहते हैं कि महिलाएं है ही नहीं, मिल ही नहीं रही हैं। यही बात लोक सभा और विधान सभाओं के लिए भी कहा जाता है कि उतनी महिलाएं कहां से आएंगी। आरक्षण तो दे दंगे, लेकिन महिलाएं चुनाव के लिए मिलेगी कहां से? आप यह विधेयक तो पारित करिए। पंचायतों में कहा जा रहा था कि स्थानीय निकायों में कहां मिलेगी महिलाएं ? कहां से मिल गई महिलाएं। महिलाओं की कहीं कमी नही आई हैं। आज 9 लाख के लगभग महिला जन प्रतिनिधि पंचायतों में हैं। वे कहां से आ गई ? जब महिलाएं गांवों में चुनाव लड़ कर आ गई और अपना काम कर रही हैं, तो क्या कारण है कि संसद और विधान सभाओं में महिलाओं का कोई अकाल नहीं हो जाएगा, यह व्यवस्था तो बने पहले।

इसी तरह आज नौकरियों के लिए भी शिक्षित लड़कियों और महिलाओं की भी कमी नहीं है। लेकिन उन्हें अवसर मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी मॉनिटरिंग हो, यह कानून बने और इसकी वार्षिक मॉनिटरिंग हो कि उतनी महिलाओं का कोटा पूरा किया ही जाए।

इसके अलावा मैं चाहती हूं कि इसमें एक बात और जोड़ी जाए, जो माया जी का हैं कि राज्य के लोक नियोजन में पदो और नियुक्तियों में महिलाओं का जो आरक्षण है, इसमें पदों और नियुक्तियों के साथ पदोन्नति भी जोड़ी जाए। महोदय, पदोन्नति में भी, प्रोमोशन में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण हो, क्योंकि कई बार देखने में यह आता है कि प्रोमोशन के समय महिलाओं के सामने बड़ी विकट स्थितियां सामने आती हैं। कई महिलाओं की दास्ताने मैं ने इस विषय में सुनी हैं। कैसी-कैसी अग्नि-परीक्षाओं की स्थितियां उनके सामने आती हैं, जिनसे गुजर पाना उनके वश की बात नहीं होती। कई बार कई पुरूषों की विकृत मानसिकताओं के कारण कई अच्छी योग्य महिलाओं को प्रमोशना रोक दिए जाते हैं, उनको प्रमोशन से वचित कर दिया जाता है। ऐसी-ऐसी उनके सामने शर्ते रखी जाती हैं, ऐसी-ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आती हैं, जिनका उन्हें सामना करना होता है। इन सबसे उनका छुटकारा हो, वे मेरिट पर अपना प्रमोशन पर सकें, इसके लिए इसमें जोड़े जाने की आवश्यकता है कि सरकारी नौकरियों में, राज्यों में भी इनका 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हो। इससे महिलाओं के लिए एक न्यायिक प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी और उसमें एक निरंतरता बनी रहेगी।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस देश में महिलाओं ने बहुत कुछ सहन किया है और आज भी कर रही हैं। एक वृद्धा के रूप में, एक विधवा के रूप में, एक परित्यक्ता के रूप में, एक निराश्रित, अपाहिज और निर्धन स्त्री के रूप में कई महिलांए बहुत कुछ सहन करती हैं। मैं मानती हूं कि आप महिलाओं को जितना सशक्त करेंगे, जितना उनका सबलीकरण करेगे, उतना ही यह देश सबल होगा, उतना ही यह समाज सबल होगा। इसके लिए जो भी कदम उठाए जाएं, वे कम हैं। मैं स्मरण करना चाहती हूं माननीय राजीव गांधी जी को, जिन्होंने अपने हाथ से यह काम किया और जिनके विचार ने यह काम किया कि कांग्रेस सरकार ने, नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे, यह काम किया। यह सोच राजीव गांधी जी की थी, कि आज महिलाओं को ग्रामीण स्तर तक तो राजनैतिक संरक्षण मिल गया है, 33 प्रतिशत का आरक्षण मिल गया है, लेकिन यह कड़ी तब तक पूरी नहीं होगी, अधूरी रहेगी,

जब तक यह प्रक्रिया पूरी होकर विधान सभाओं और ससंद तक नहीं पहुंचेगी। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, मुझसे पूर्व जिन साथियों ने इसके समर्थन में विचार दिए है, उनसे भी मैं यह कहना चाहूंगी और तमाम राजनैतिक दलों से यह कहना चाहूंगी कि कई राजनैतिक मामलों में हम राजनैतिक भावना से ऊपर उठकर सोचते हैं , तो यह एक मानव जाति, एक स्त्री जाति को न्याय देने का सवाल है। वैसे तो कई घरो में कहने को तो स्त्री को देवी कहा जाता है, महालक्ष्मी कहते हैं, शक्ति-स्वरूपा कहते हैं, मैं तो कहती हूं कि उसे मानवीय ही रहने दो। कई जगह तो उसके साथ पशुओं से भी बदतर सलूक होती है, उससे उसे उभारा जाए। अब समय आया है कि महिलाओं ने देश के लिए, समाज के लिए जो बहुत कुछ किया है, उन्हें हम वह लौटाएं। स्त्रियों को , जिन्हें त्याग की मूर्ति, तपस्या की मूर्ति, ममता की मूर्ति, शक्ति की मूर्ति या ऐसा बहुत कुछ कहा गया है , मगर सचमुच आज उसके सबलीकरण का सवाल हमारे सामने हैं। उसे शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से सबल करना हैं। कानून तो बहुत बनते हैं, और संवैधानिक रूप से उन्हें सबल करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, मगर खाली कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। उन कानूनों का लाभ उसे कैसे मिले, एक गरीब महिला को उसका लाभ कैसे मिले, इस पर सोचना होगा। मैं रोज देखती हूं, विधेयक आते हैं, चर्चाएं होती हैं और कानून बनते हैं , मगर वर्षो तक महिलाएं न्याय के लिए भटकती रहती है, उन्हें न्याय नहीं मिलता है। फास्ट-ट्रेक अदालतें बन गई, महिला थाना बन गए, कई महिला आयोग बन गए, लेकिन न्याय के लिए वर्षो बीत जाते हैं। इसके लिए गरीब महिलाएं कहां से पैसा लाएंगी और उनके पास इतना समय भटकने के लिए नहीं होता। अब तो कोई ऐसे कानून की जरूरत है , जो यह सुनिश्चित करे कि उन पीड़ित महिलाओं को उस कानून का लाभ एक निश्चित अवधि में मिल जाएगा और तभी ऐसे कानून का लाभ होगा वरना वह भी एक खाली लिप्स-सिम्पैथी होकर रह जाएगा।

महोदय, अंत में मैं दो पंक्तियां कहूंगी –

मैं चाहती थी घर को बचा लूं किसी तरह।
अफसोस कि लोगों ने अपाहिज समझ लिया।

तो अब महिलाओं के सबलीकरण का सवाल है। जब उन्हें नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, तो महिलाएं निश्चित रूप से सशक्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के लिए माया सिंह जी को धन्यवाद और बधाई देती हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती माया सिंह द्वारा प्रस्तुत लोक नियोजन (महिलाओं के लिए आरक्षण) विधेयक, 2005 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस प्रकार का यह विधेयक इन्हें भारत की संसद में लाना पड़े और वह भी इस देश की संसद में , जिस देश में कहा जाता है - "यत्र नारी पूज्यतें" रमते तत्र देवताः। इस देश में जहां भी किसी का नाम लिखना होता है, तो पहले स्त्री का नाम आता है, जैसे लक्ष्मीनारायण , नारायण के नाम के साथ पहले लक्ष्मी का नाम आता है, इसी तरह सीताराम में पहले सीता का नाम आता है, और राम का नाम बाद में आता है। किसी समय हमारे यहां महिलाओं का वह स्थान प्राप्त था, जो शायद आज तक किसी भी देश में किसी दूसरे तबके को प्राप्त नहीं हुआ है। आज उसी नारी को, महिला को अपना स्थान बनाने के लिए, समाज में अपनी

स्थिति प्राप्त करने के लिए आरक्षण जैसे विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ गई हैं , मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें इतिहास की ओर देखने की आवश्यकता है।

भारत का जो प्राचीन समाज था, जैसा अभी हमारी बहन डा0 प्रभा ठाकुर जी कह रही थी कि यहां महाशक्ति , शक्ति स्वरूपा ऐसे-ऐसे शब्द नारी के लिए कहे जाते हैं, वास्तव में प्राचीन काल में इस देश में नारी का स्थान शक्ति स्वरूपा ही था, उसे लक्ष्मी का स्थान प्राप्त था। चाहे वह धन की देवी हो, चाहे विद्या की देवी हो, चाहे वह शक्ति स्वरूपा हो, सब कुछ नारी को प्राप्त था, लेकिन देश के एक हजार साल के परतंत्रकाल में, जिस काल में हम पराधीन रहे, विदेशी आक्रांताओं और संस्कृतियों ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया, उसके बाद जहां हमारा बहुत सारा समाज दलित, शोषित और पीड़ित हो गया, उसी के साथ-साथ हमारा जो शक्ति स्वरूपा समाज था, जो आज देश का आधा हिस्सा बनता है, लगभग देश का 50 प्रतिशत हिस्सा है, उसको भी एक प्रकार के लिए ही देश में बहुत सारी प्रथाएं प्रारम्भ की थी । हिन्दुस्तान में पर्दा प्रथा नहीं हुआ करती थी, हिन्दुस्तान में तो स्वंयवर हुआ करते थे, जिसमें महिला को अधिकार होता था कि वह अपने पति का चयन स्वयं करे, लेकिन हजार वर्षो के इस काल के कारण, जिसमें विदेशी संस्कृतियों ने इस देश पर आक्रमण किया, इस समाज को बचाने के लिए, हमारी विभूतियों को, शक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, देवी स्परूपा, जिस नारी को कहा जाता है, उसको बचाने के लिए, समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं करने की उस समय आवश्यकता पड़ी , जो बाद में एक कुप्रथा के रूप में आन पड़ी है । आज स्थिति यह हो गई हैं कि यदि किसी के पति का देहावसान हो जाए तो पत्नी को सती होना पड़ सकता है और आज इस प्रकार की स्थिति महानगरों में, नगरों में और पूरे देश में हैं, फिर अत्याचार के हिसाब से देखें, हमारे यहां लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन में सबसे ज्यादा अत्याचार समाज के किसी और शोषित या पीड़ित वर्ग पर नहीं, बल्कि महिलाओं पर होते हैं। आज इन विकृतियों को दूर करने की आवश्यकता है । यह सत्य है कि आज भी चाहे परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो, वह पति प्रधान या पुरूष प्रधान है । हमने बहुत सारी संस्थाओं में यह देखा है कि नारी ने जहां पर भी जाने का प्रयास किया है। उसमें उसने सफलता प्राप्त की है । इसीलिए कल्पना चावला, हमारे देश की एक युवती, मंगल और चांद तक जाने की तैयारी की में अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या कोई और, दुनिया के सब बड़े-बड़े देशों में, प्रमुख देशों में , हामरे देश सहित, महिलाओं ने विशेष स्थान प्राप्त किया है और हमारे देश के प्रशासन में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम रहा हो और स्वतंत्रता संग्राम में भी चाहे भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन हो, 1857 का आंदोलन हो, जहां नाना साहब पेशवा या तात्या टोपे जी का नाम आता है, वहीं झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का नाम भी वहां किसी से कम नहीं । इसलिए दुनिया के, समाज के, भारत के प्रत्येक वर्ग में महिला ने, जहां भी उसे अवसर मिला है, उस पर अपनी विशेषता दिखाई है ।

वर्तमान समय में भी जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासनिक क्षेत्र में भी, अधिक से अधिक क्षेत्रों मे जहां पर महिलाएं काम कर रही होगी, एक आध अपवाद को छोड़कर, भ्रष्टाचार जो आज समाज का एक अंग बन गया है और यह कहा जाता है कि प्रत्येक स्थान पर बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होता, यदि PWD में कोई ठेका लेना है, तो वहां 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत अधिकारी को देने का दस्तूर बन गया है, ऐसे समय में भी प्रशासन में अगर कोई

सबसे कम भ्रष्ट, बिल्कुल भ्रष्ट अगर न कहें तब भी सबसे कम भ्रष्टता जहां पाई जाती है, वह उस स्थान पर पाई जाती है, जहां पर महिलाएं अधिकारी या कर्मचारी के रूप में होती है, ऐसे स्थान सबसे कम भ्रष्ट स्थिति में होते हैं। जहां पर एफिशिंएसी का सवाल होता है या अपनी सीट पर बैठने का सवाल होता है, उसमें भी नारी प्रमुखता से आगे दिखाई देती हैं । कोई भी व्यक्ति जब किसी काम के सिलसिले में किसी महिला अधिकारी के पास जाता है, तो वह काम ज्यादा अच्छी तरह से होता है। यह चलन आज भी हम कार्यालयों के अन्दर देखते हैं।

जब पंचायती राज, नगर पालिका और नगर निगम में आरक्षण के बारे में सवाल उठता है, इसके लिए स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा देश में 73वां एंव 74वां संविधान संशोधन लाया गया । यह पंचायतों के अदंर महिलाओं को आरक्षण देता है लेकिन किसी कारण से 1988-89 में उन्हें आरक्षण नहीं मिला पाया ।

हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री पहले श्री शांता कुमार जी थे । जब हिमाचल प्रदेश के अन्दर चुनाव हुए थे, सबसे पहले उन्होंने 1990 एवं 1991 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी। 1996 के चुनावों के बाद तो सभी स्थानों पर 33 प्रतिशत आरक्षण हो गय है ....(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) **:** सुरेश जी, यह प्रोग्राम श्री राजीव जी का था।

श्री सुरेश भारद्वाज : जी , मैं भी यही कह रहा हूं, कि उनका था। लगता है कि आपने सुनी नहीं, पहले मैंने राजीव जी का नाम ही लिया था, शायद उस समय आप सोई हुई थीं ....(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर : नहीं मैं सोई नहीं थी, मैंने शांता कुमार जी का नाम सुना था ....(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री कलराज मिश्र**) : आप अपनी बात कहते रहिए ।

श्री सुरेश भारद्वाज : हां, शांता कुमार जी आप ही के जिले के हैं, इसीलिए आप उनका नाम सुनना नहीं चाहतीं, लेकिन तथ्य यही है।

उपसभाध्यक्ष (**श्री कलराज मिश्र**) **:** इस समय धैर्य रखने की जरूरत है, बोलिए नहीं । जब आपका बोलने का अवसर आएगा, तब बोलिएगा।

श्री सुरेश भारद्वाज : यह ऐतिहासिक तथ्य है। वास्तव में जब श्री राजीव गांधी जी ने 1988-89 में इस पर विचार किया था, लेकिन उस समय वे संविधान संशोधन हो नहीं पाए थे, जब श्री नरसिन्हा राव जी प्रधान मंत्री बने, तब ही वे संशोधन हो पाए। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि 1991 में ....(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री कलराज मिश्र**) : आप अपनी बात बोलिए, माननीय सदस्य की बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है ।

श्री सुरेश भारद्वाज : ठीक है, मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं था कि यह कार्य किसने किया । यहां पर क्रेडिट का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि महिलाएं इस क्षेत्र में सफल हुई हैं या नहीं हुई है। शुरू शुरू में पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निगम या नगर पालिकाओं में यह

कहा जाता था कि जहां महिला प्रधान बनती हैं , वहां पर उसका पति ही उनके स्थान पर सारे काम-काज करता है। लेकिन जैसे-जैसे एक के बाद दूसरे चुनाव हो रहे हैं, गांवों में जितनी भी पंचायतें हैं और उनमें जहां पर भी महिलाएं काम कर रही हैं, खास तौर पर विकास के क्षेत्र में वहां पर बहुत अच्छा काम हो रहा है।

भ्रष्टाचार की बात मैं पहले भी कह रहा था, चूंकि हम जो सांसद निधि का वितरण करते हैं, उसकी एग्जिक्युटिव एजेसी अधिकाशं तौर पर पंचायती राज की संस्थाएं होती हैं । जहां पर भी महिलाएं प्रधान या उप-प्रधान हैं अथवा महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, वहां पर कार्य अच्छे ढंग से सम्पन्न होता है। वैसे तो महिलाओं की संख्या सभी जगह 33 प्रतिशत है । नगर निगम एंव नगर पालिकाओं में भी जिन स्थानों पर सांसद निधि दी जाती है, वह सब कार्य उचित तरीके से और समय पर होते हैं ।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि महिलाओं को जिस स्थान पर भी काम दिया गया है, वे वास्तव में उस काम को ठीक प्रकार से सम्पन्न करती हैं । आज हमारी सामाजिक स्थिति एंव ऐतिहासिक तथ्यों के कारण महिलाओं को वह स्थान प्राप्त नहीं है, इसीलिए उनके सशक्तिकरण की बात करनी पडती है । समाज में उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है । उस स्थिति को बदलने के लिए आज आरक्षण आवश्यक माना जा रहा है । वास्तव में जहां पर भी, विधान मंडलों में अथवा संसद में हम आरक्षण की बात करते हैं, हिन्दुस्तान के सभी बड़े दल अपने-अपने मेनिफेस्टों मे हर बार इस बात को रखते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए । लेकिन जो भी सरकार बनती है, यह बिल पास नहीं हो पाता है। वर्तमान सरकार से मेरा निवेदन यह है कि श्रीमती माया सिंह जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है, यह उस दिशा में बढ़ने के लिए एक प्रयास होगा, एक पग होगा । अगर हमारा लोक-नियोजन एंव केन्द्रीय सरकार के कार्याकलों एंव उपक्रमों में जो इम्प्लॉएमेंट हैं, संभव हुआ तो प्रदेश सरकारों को भी इस बात के लिए राजी किया जा सकता है कि वे भी अपने यहां आरक्षण दे । बहुत सारे प्रदेशों ने इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास किया भी है । यदि हम इस बिल के ऑब्जैक्टस एंड रीजन्स को देखेंगे, तो इसमें भी उन्होंने यही कहा है, कि जब अनुसूचित जातियों एंव जन-जातियों को उनकी सामाजिक स्थिति के कारण, उनके शोषित, दलित एंव पीड़ित होने के कारण आरक्षण दिया गया है, इसलिए नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण देना आवश्यक है । इन सारे तथ्यों को देख कर, मेरा निवेदन यह है कि महिलाओं के संशक्तिकरण की दिशा में यह एक कदम है । इन्हीं शब्दों के साथ माया सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं । माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । धन्यवाद ।

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very happy to support the Bill moved by Shrimati Maya Singh. We have to appreciate her intention. Even though there are, as on date, 24 women Members who are representing their States in the Rajya Sabha, at least, five Members have come forward to support this Bill. I am very happy that women's awareness is to be much more increased because they are the people who have sacrificed their entire life for the family and for the society. But, at the same time, they were not recognised; they were not

given the proper place, even from the first day of the birth as a girl child. If a girl child comes up, she is not given equal food, or, equal right and everything. Everything is prohibited for her at the very early stage itself. There is inequality between male and female as a-child also. When our hon. Member Shrimati Maya Singh has come forward with a Bill to provide for, at least, 33 per cent reservation for women in jobs, we have to see, first of all, at least, 33 per cent reservation in education is given to them. We should see to it that they are getting the opportunity there. This 33 per cent reservation is a very moderate one. The women population is equal to that of the men. Therefore, they have to demand 50 per cent reservation. Even as many of our hon. Members have quoted the religious mind of the Indians, or, to say '*ardhanareeshwar*' i.e., half of the human being is male and half female. This was the way of thinking in the earlier days of our society. But, gradually, this right of half was made as a reduced one. Now, at least, they are demanding 33 per cent reservation. That is a very moderate demand. But, at the same time, I would like to appreciate the intention of the hon. Member who has brought forward this Bill. I request that awareness among girls and women should come and they should demand this as a right. Because you know very well, Sir, that under the Fundamental Rights, in article 15, I quote, "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.' In the same article, clause (4) is for the purpose of education. That is also mentioned there. Dr. Ambedkar had very eloquently made the words. It says, "Nothing in this article or in clause 2 of the article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes." This amendment was made after the Shenbaganathan case of the Madras High Court, and Pandit Nehru had brought this first amendment to the Constitution of India. Here, the words used are, "socially and educationally backward classes of citizens." That means, the ladies should also have the right to demand as the socially and educationally backward classes of citizens.

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): That is the Supreme Court order.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: That is. As our hon. Minister. Shri Vayalar Raviji has just said that it has also got the mandate of the Supreme Court in many of its decisions. But, the point to which I would like to draw the attention of this august House is, when there is a

constitutional right which is given, how much of it is implemented for the past so many years, so many decades? How we, as the topmost institution of India, even in the world, there is no such institution which represents 100 crore of the people how much risk this institution has taken in finding out whether this provision is properly implemented or not? In the same way, article 16 talks about the opportunities in employment. It says: "There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State."

Article 16(2) says: "No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State." Here, equal opportunity is to be given. But this article now has got many amendments, even to the extent of *93rd* Amendment, which was passed by this House in this year itself, where there is a provision for a right in private educational institutions as also in jobs and services in the Government of India appointments. Here, I request the august House to consider it and I also request the hon. Minister to come forward with data as to the extent of representation given for men in the higher institutions and the professional institutions.

We know very well that there are many agitations going on regarding the IIT and IIM reservations for backward classes and other people. But how many people are represented on the basis of sex? I would like to put a question: Has the 50 per cent or 33 per cent reservation come in the IIMs and IITs? Because, as taxpayers, we are spending huge sums of money on these. Normally, T think, an amount of about Rs.5 crores is spent by the Government of India for each student when he comes out of the NT. But what is happening for the past five decades is that when students are educated, they are not staying here and they are not having an obligation for our country. Our tax payer's money is being utilised for their education, the topmost and excellent education. They do not think that they have got an obligation, a karma to repay, to serve these masses. They have obtained excellent education and they have to work here and see to it that the society comes up to the level, where the IIT and IIM students' services are utilised to the maximum.

But, unfortunately, I can very well say that majority of the people have gone out, to Western countries, especially to America and Europe and they have enriched those people, the citizens of America and the citizens of Europe. They are enriching those people! They call themselves 'superpower'

but we are making them like that because of our knowledge; our students migrate to those places and they are becoming rich and we are becoming Poorer-because we are paying the taxpayers' money for the development of Western countries and not for our country.

Therefore, this is the highest time to see to, it that if a person has graduated from IIT or IIM, he should have an obligation, just like in the medical service—these students should be serving in the Indian concern for, > at least, five years; or else, they need to repay the money for which they have been given concession because our money is utilised for the welfare of the Western countries. I request the Minister to come out with a data on the number of people migrating from India after graduating from IIT or IIM. In the same way, he should come out with a data to mention how many ladies have been given opportunities. Now, Mayaji is demanding for a 33 per cent reservation to women. I would like to know whether that 33 per cent reservation is given to women in llTs or IIMs or any other professional institution. Which institution has 50 per cent or 33 per cent opportunities for getting excellent education or skill development? In which way can they develop? Without education or skill development, you cannot have job, at all. You can simply be a labourer.

But we need implementation of article 39 which talks about equal wages. I would like to know from the Minister whether Equal Wages Act is fully complied with in our Indian context. I just would like to quote article 39 of the Constitution of India where the Directive Principles of the State Policy and the judgments have to be considered when a Bill comes up before the Legislature. The article says, "The State shall, in particular, direct its policy towards securing- (a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;..." Are they giving it to them? Is the nation giving it to them? In which way is this being violated? This Constitutional mandate is violated. In the same way, the subsequent clause (d) says, " there is equal pay for equal work for both men and women;" We may be having law. Even in the law, namely, the Wages Act, we can very well see that it is not giving an equal right. It is not implemented properly. Wages for the females are less than the wages of the males. We have got very good laws and very good Constitutional provisions. We also sign a lot of international covenants every day. We are the first party to these international covenants. We are arguing for them. In which way are we implementing them? I am speaking from the topmost forum of India. In which way this forum is scrutinising them? How are they implementing it?

How many covenants have we already signed? We have committed ourselves to them. We have got laws. We have already got a Constitutional mandate. How is it being implemented? If they are properly[1] implemented, I do not think Mayaji had to come with this motion demanding the Government, "you please give at least 33 per cent reservation in the employment opportunities." Therefore, It is high time and especially I request hon. Members for females. We have got an obligation. A male cannot say, I will give birth to a female, I will marry a female and have a female child, but at the same time, not have equality for my mother, for my wife or my daughter. I have to give it. In the same way, I request that the forum should take up the issue. We were glad that Rajivji had taken up the issue of reservation for women in Panchayati Raj system. We can even quote that 8 lakh 90 thousand and odd women are represented from the local Panchayat wards to the top level of Zila Parishads. They may be cultivating themselves gradually. They may be taking their own time for educating them. The accountability and reasonability is given less and less to them. I can give many examples where the Zila Parishad chairmen representing lady quota is occupied by the males or husbands. They are coming and they are dominating. They are issuing orders in the name of their wives. This is not prohibited. It has to be prohibited that husband who is taking the right of the lady should be prosecuted. He is defrauding the legal provision. How can officers obey their orders? How can he be allowed to sit in office and say that my wife is the chairperson but I am commanding you. That means they are defrauding. Therefore, they would be prosecuted under the Indian Penal Code. There should be a strict law by which the female should be protected first of all. Whatever rights they are having, those should be protected first. Then we have to see that whatever rights we have already given to them, whatever rights they have been given already by the Constitution, by statutory provisions and by covenants have to be protected. They have to be implemented. I feel sorry, Sir, even after so many decades female Members have to demand their own birthright. It is their birthright. We cannot say that you do not have this right. They have got this right, but they are demanding in a very meek manner by bringing a motion. They are not agitating. They have very motherly attitude towards us. They are very sympathetic towards us. They are even giving food or even wealth and everything to every male. But the male has to respond to it. As human beings, we have got an obligation to see that the females are respected. On that basis, I thank again Mrs. Maya

Singh who has come forward with this Bill giving a chance of thinking to us in this topmost forum. Thank you.

डा0 एम0 एस0 गिल (पंजाब) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैंने अचानक आपसे विनती की कि इस विधेयक पर, जो हमारे विचाराधीन हैं, मैं उससे अपने आपको जोड़ना चाहता हूं , उसका समर्थक होना चाहता हूं, और आपने मुझे बोलने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दिया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : पुजारी जी ने आपके नाम का उल्लेख किया था, गिल फार्मूले की बात की थी, जरा उसका भी उल्लेख करें, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

डा0 एम0 एस0 गिल : जी सर, जरूर करूंगा । यह जो मामला है , इसके संबंध में एक चीज तो सबको दिखाई देती है कि जरूरत बहुत है । इसके लिए मुझे ज्यादा विचार देने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारा जो समाज है, हमारे जो सारे धर्म हैं, हम उनकी कितनी भी तारीफ कर लें, लेकिन उनमें जो कमी है, उसी की वजह से यह शायद निकल रहा है । मैं कैसे कहूं? सारे धर्म कहते हैं, किसी में "लक्ष्मी" कहते हैं, किसी में और कुछ कहते हैं । सिख धर्म तो चार सौ साल पुराना है, और गुरू नानक जी ने तो इस मुद्दे को ही उठाया था –

"सो क्यों मन्दा आखियें,
जित जम्मे राजान् ।"

लंबा है, मैं आखिरी लाइन ही बोल रहा हूं और सिख धर्म में यह लिखा हुआ है कि दूसरों के मुकाबले गुरूद्वारे में कोई भी ग्रंथ पढ़ सकता है , कोई भी शादी कर सकता है, चाहे लड़की कर दें, चाहे मां कर दें । करते भी हैं और वह कानून बराबर हैं, लेकिन मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है। कि आज के असली सिख धर्म के कामकाम में नारी को पीछे रखा जा रहा है । पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और आसपास के नॉर्थ के जो राज्य हैं, केरल के मुकाबले, मिजोरम और जो नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिनको कभी-कभी आप बैकवर्ड कहते हैं, उनके मुकाबले हमारे यहां जेंडर रेशियों सबसे कमजोर है। यह सात-आत सौ तक पहुंच गई हैं और अजीब बात यह है कि पहले लड़की को मार देते हैं, फिर शादी के लिए दूसरे प्रांतों से लड़की खरीदने जाते हैं । सबको पता है, तो असलियत यह है । क्यों है? क्योंकि हमारे पजांब में भी, सिखों में भी यह आ गया है कि डाउरी लेनी है, कितनी लेनी है, कितने फंक्शन करने हैं, कितना खाना-पीना करना है तो लड़की एक बोझा बन गई है, यह हमें मानना पड़ेगा । इसलिए उनको पहले भी खत्म कर दिया जाता है और जीवित रहने के बाद भी मार देते हैं। मैं गांवों की बात जानता हूं, जो चीज पंजाब में पचास साल पहले थी, आहिस्ता – आहिस्ता उन प्रांतों में आ रही है । तो एक तो इसको देखना है, सारे धर्मो ने , सारी सोसाइटी ने इसको देखना है । दूसरे, मैं सोचता हूं कि इसका इलाज ऐजुकेशन है, सिर्फ ऐजुकेशन है । मैं देखता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कहती हैं कि हम इतना देंगे, उतना देंगे पढ़ाई के लिए। मैं तो कहता हूं कि यहां से एक कानून पास कर दिया जाए कि कोई भी लड़की, उसके पिता की इनकम भी छोड़ दो, मान लो किसी अमीर की लड़की हो, अगर वह फिर भी लेना चाहता हूं तो दे दो, लेकिन कोई भी लड़की हो, ग्रेजुएशन तक उसकी पढाई, उसकी फीस, उसके कपड़े, उसकी किताबें, उसका बेसिक खर्चा देंगे और ये दे सकते हैं , प्रधान मंत्री दे सकते है । जो कहते हैं कि खर्चा

4.00 P.M.

बढ़ाना है सोशल में, यह कर दो तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब लड़की पढ़ जाती है तो इससे सिर्फ कुटुम्ब ही आगे नहीं बढ़ता, बल्कि सारी सभ्यता , सरा प्रांत, सारे लोग आगे बढ़ते हैं। मैं तो कहूंगा कि इसको कर दो। बाकी ये जो स्पेसिफिक चीज कह रहे हैं कि नौकरियों में रिजर्वेशन की बात है, उसमें मैं एक-दो चीजों पर जोर देना चाहता हूं । पुलिस एंड ज्यूडीशियरी – मेरे ख्याल में पिछले सैशन मे कुछ आया था कि पुलिस में लड़कियों की भरती बढ़ाई जाए। विलायत में यह देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि यहां बहुत स्मार्ट लड़कियां इंस्पैक्टर, हलवदार या कांस्टेबल होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा कि सारे मिलकर इसके लिए कहो। होम मिनिस्टर ने उस वक्त जवाब दिया था, मैंने भी पूछा था, तो कहने लगे कि यह स्टेट का मामला है , हम तो उनको आग्रह कर सकते हैं। नहीं जी , यह आग्रह जोर से भी तो हो सकता है। हर स्टेट पुलिस में, सेंट्रल पुलिस में 25 परसेंट, 30 परसेंट लड़कियां होनी चाहिए और अगर हो जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर में कायाकल्प हो जाएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहा हूं बहुत सारे डिस्ट्रिक्टस में, तो वह तो हवा ही बदल जाएगी। जो आप लड़कियों के प्रति क्राइम की बात करत हैं, दुख प्रकट करते हैं, अगर 25 परसेंट भी ये होगी स्टेटस में और सेंटर पैसे देगा उनकी भरती के लिए, तो किसी को क्या तकलीफ है? एक तो यह करना जरूरी हैं। उसके साथ ही ज्यूडिशियरी की आप तारीफ करते हैं, चलो मैं भी कर तो यह करना जरूरी है। उसके साथ ही ज्यूडिशियरी की आप तारीफ करते हैं, चलो मैं भी कर देता हूं, लेकिन उसमें और कुछ भी देखना है। एक बार किसी और रिजर्वेशन के बारे में हल्का सा राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया था, तो अखबारों ने और दूसरे लोगों ने बहुत आपत्ति की थी। मैं नही मानता कि उन्होंने गलत किया था, तो अखबारों ने और दूसरे लोगों ने बहुत आपत्ति की थी। मैं नहीं मानता कि उन्होंने गलत किया था, लेकिन जुडिशियरी में भी अगर 25-30 परसेंट जज जुनियर जज देता है, हम ऊपर से भी आते हैं, हमारी प्रैडिलिक्शन होती है। जो मेरे विचार हैं, ये पास्ट के बने हुए हैं और आपके भी पास्ट के बने हुए हैं आप कहीं के भी जज ले लो, चाहे अमेरिका का जज हो या जहां का जज हो। इसलिए मैं सोचता हूं कि किसी तरीके से जुडिशियरी में नीचे की भर्ती में , 25-30 परसेंट लेडीज चाहिए। अगर हर बैंच के ऊपर एक औरत बैठी होगी तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोटर्स में बराबर की संख्या मे बैठी होगी, अब तो एक ही कभी नाम मात्र होती है, वह भी खत्म हो जाती है, बदकिस्मती से अमेरिका भी यही करता है, एक थी, वह भी चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जुडिशियरी मे बैंच के ऊपर बैठी होगी, नीचे एस.पी. में तो हैं, आई.पी.एस. में हैं। यह जो नए इम्तिहान का रिजल्ट आया है, इसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऊपर के बहुत सारे जो ग्रेडिंग थे, वे लड़कियो ने लिए हैं। वे तो हर दफा लेती भी हैं, लेकिन कांस्टेबल से लेकर डी.एस.पी. इन्स्पैक्टर, सब-इन्स्पैक्टर पर भी भर्ती हो चुकी हैं, दूसरी तरफ सब-जज भर्ती करो, ऊपर तक सैशन जज तक, बराबर नहीं तो कम से कम बीस-बीस परसेंट तक हों, तो तब आपका फर्क आएगा। जो महोदय, ने जिक्र किया है, जहां तक इसकी बात हैं , मैं यह मानता हूं पार्लियामेंट में और स्टेट असेम्बलीज में, महिलाएं बहुत ज्यादा बैठानी चाहिए। ये अब तो बहुत कम हैं और ये केवल आठ परसेंट ही है। हमने पिछले पचास बैठानी चाहिए। ये अब तो बहुत कम हैं और ये केवल आठ परसेट ही हैं। हमने पिछले पचास साल के आंकड़े देखे हैं। पालिर्यामेंट और स्टेट असेम्बलीज के जो पिछले पचास-पचपन साल के आकंड़े हैं, उनके अनुसार इनका 8 परसेंट रिप्रजेटेशन हैं। जिनमें कभी दो परसेंट ऊपर आकंड़ा और कभी दो परसेंट नीचे रहा है। हमें इसको बढ़ाना है। इस पर बड़े सालों से चर्चा हो रही हैं, एक फिगर के ऊपर लड़-लड़कर मरना, मुझे तो यह समझ में नहीं आता है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि साढ़े पांच सौ सदस्यों की लोक सभा है, और उसमें सौ-सवा सौ महिलाएं बैठी हों

तो काया-कल्प हो जाएगी। ये जो शेर बैठे हुए हैं, ये कुर्सी के नीचे चले जाऐंगे, यह मैं मानता हूं । अगर यहां सौ लड़कियां भी बैठी हो तो फिर जो हम लोग कभी गलत बोलते हैं, वह नहीं बोल सकेंगे । मैं तो केवल इतना जानता हूं कि सब ऐसे बैठ जाएंगे और जो पॉलिसी है, उसमें भी मोडिफिकेशन आएगी, क्योंकि महिलाओं के विचार में और हमारे विचार में फर्क है। उसको कैसे किया जाए, मैं आज इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा । आप लोग फंसे हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं, मैंने तो केवल इतना जानता हूं कि सब ऐसे बैठ जाएंगे और जो पॉलिसी है, उसमें भी मोडिफिकेशन आएगी, क्योंकि महिलाओं के विचार में और हमारे विचार में फर्क हैं । उसको कैसे किया जाए, मै आज इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा । आप लोग फंसे हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं, मैंने तो इस पिछले बगांल के इलैक्शन के दौरान ही करवा देना था, अगर मेरे साथ सारे जुड जाते । आज वे पांच साल भी निकल गए और एक चीज और देखी थी कि इस सरकार ने एक चाईल्ड कमीशन पास किया था। यह बड़ा ही अच्छा काम किया था, लेकिन मुझे उसके क्लॉजेज को देखकर बड़ी हैरानी हुई, उसमें भी कहीं नहीं लिखा थी, कि चाईल्ड कमीशन की तो सिर्फ एक महिला ही चेयरमैन होगी । Surely, she knows more then I do as to how to think about the child. She knows better . लेकिन वह भी नहीं लिखा था, कम से कम उसकी आधी मैम्बर्स तो महिलाएं होनी चाहिए । मुझे याद है, मुझे मौका नहीं मिला और मैं वह कह नहीं सका। हम यह तो कह देते हैं कि ह्यूमैन राइटस का चीफ जस्टिस एक रिटायर्ड होगा । मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है । यह कैसा लिखा गया, ये उस वक्त की बातें हैं, लेकिन इनका क्यों नहीं लिखते । मैं समझता हूं कि यह लिखना चाहिए । जो प्रॉपर्टी का किया था, वह बहुत अच्छा किया था, क्योंकि उससे कुछ ताकत मिली है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं आपको-धन्यवाद करता हूं । मैं इस बात पर जोर दूंगा कि पुलिस और जुडिशियरी में इनको एडिक्वेट जगह, जबर्दस्ती कानूनन, मजबूरन, गांरटिड दे दो तो बहुत अच्छी बात बनेगी । धन्यवाद ।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Thank you very much, Sir. On this subject of women empowerment, our basic document is the National Policy for Empowerment of Women, 2001. This Policy should be our guideline for all future actions as far as women empowerment is concerned. This document specifically says that in recent years the empowerment of women has been recognised as a central issue in determining the status of women. The National Commission for Women was set up by an Act of Parliament in 1990 to safeguard the rights and legal entitlements of women. The Constitution Seventy-third and the Seventy-fourth Amendments have provided for reservation of seats in local bodies or Panchayats and Municipalities for women, laying a strong foundation for their participation in decision-making at local level. These and other guidelines have been mentioned in this document. The object has also been clearly spelt out. Therefore, during his intervention in the matter, it will be ideal if the hon. Minister throws light on the implementation of this policy document - which are the parts that have been implemented and which are the parts which remain to be implemented. In this connection, it will be advisable to inform the House as to how many prosecutions have been filed since 2001, that is, since coming into force of this policy, by various State

Governments, and in how many cases there have been convictions. This data in terms of implementation of this policy would be very much relevant. As others have also appreciated, I would also like to congratulate Maya Singhji for bringing forward this legislation. But this legislation be not restricted only to public employment. I think, nowadays, as the trend goes and the thinking goes, there is a responsibility on the part of private employers also to give necessary reservation for the various sections. And, if it is so, why not women? Therefore, this aspect has also to be considered because not many Government jobs are coming there. Investment is coming from outside, new units are being set up, there will be a lot of scope, especially in the IT sector, in private employment. Therefore, women have to be considered on a priority basis in this matter. Another aspect I would like to disclose to the hon. Minister is this. If such a legislation is passed, will it be binding on the State Governments, because as far as reservation is concerned, as far as the employment aspect is considered, it is basically considered to be a State subject. Even the Supreme Court, in its various judgements, has said that the issue of reservation is to be sorted out by the State Governments as per the situation prevailing in each State, as far as caste factor is concerned. Therefore, can any such Central legislation be brought in, which can be applicable to the entire country? Therefore, it is essential to bear this aspect in mind. Another aspect is this. Just like we have one-third reservation in local bodies, in future it may be in Parliament also, why can't it be there in various Government committees, corporations, etc.? The Government appoints public men in various committees and corporations. I don't say that the reservation should necessarily be one-third there also. But if some sort of reservation for women is made in the Government committees, in Government corporations, it will be quite helpful in giving representation to the women and voice their grievances. And, there will be sanctity of those various types of committees. I think, that aspect has also to be considered. Now, why reservations? As far as caste factor is considered, we say that there should be level playing field. As far as various castes are concerned, we have not been able to bring them to a level where we can say that now they can compete. Similarly, women also are in various difficult situations. They maintain house, they have got other social factors. Therefore, they are not in a position to be at level where we can consider them to come in competition. Therefore, as it is in caste matters, level field is also required as far as women are concerned. Not because of the caste or any class, but because of the situation in which women are at

home, we should give them reservation so that they can also come forward. Lastly, I would say that the Government has, in the last session, done a commendable job by giving equal rights to women in the matter of property. I would like to tell you this, Sir, because I come from Goa; it has been there for years together in Goa. A husband cannot sign even any document of conveyance or anything without the signature of his wife. Any sale, gift or whatever it is; everything is to be signed by the wife along with the husband. Even if the husband owes any money, then, a suit is filed against both husband and wife. If husband files a suit, he has to make wife as a party. Both these things go together. There is no sort of individuality under the Portuguese law. Therefore, one of these concepts has been brought under the Hindu Succession Act. So, it is a good thing that this has been brought into force. As far as the Judicial System is concerned, it has been reported in the Policy Document, and this Policy Document commits towards the various types of legislation to be brought and the various amendments to be brought. I would say that in the last five years, the Central Government has made several amendments, and has enacted several new legislations for empowerment of women. We cannot find any defect or blame as far as the Central Government is concerned in the matter of bringing any legislation for women. The only thing which remains to be done is to implement those legislations which we have enacted. Let us evolve a consensus to give women the necessary power that they deserve. Thank you very much.

कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बिल को जिन्होंने प्रस्तुत किया है, आदरणीय श्रीमती माया सिंह जी ने, उनके प्रति धन्यवाद नहीं, बल्कि कृतज्ञत्ज्ञ व्यक्त करना चाहूंगा कि इस बिल के प्रस्तुतिकरण के समय उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं , वे अत्यन्त महत्वपूर्ण भी हैं और सामयिक भी हैं । महत्वपूर्ण और सामयिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश की आबादी की लगभग 50 प्रतिशत जो जनसंख्या है, वह महिलाओं की है और यदि हमारे महिलाओं की सक्रिय भागीदारी कहीं नहीं हो पाती है, तो उससे निश्चित रूप से उस क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब हम देश के सर्वागीण विकास की बात करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि हमारा देश प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक दे, तो यह कल्पना करना बेमतलब हो जाएगा, यदि हम महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सभी क्षेत्रों में समुचित और पर्याप्त रूप से हो यह सुनिश्चित न करें । इसलिए इन सब बातों का दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने बिल में जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया है, वे अपने आप में महत्वपूर्ण हैं । मान्यवर, मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि महिलाओं को चूल्हें-चौके तक सीमित न रख कर जो देश की प्रगति से जुड़े हुए काम हैं, विकास से जुडे हुए काम हैं, हमें आज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उनमें उनको लगाना पड़ेगा, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। जब अदरणीया, श्रीमती माया सिंह जी इस बिल के सन्दर्भ में बोल रही थी, तो उसमें उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उनको हमने बहुत

ध्यानपूर्वक सुना है और उन्होंने जो चिन्ता उस समय व्यक्त की उससे मैं असहमत नही हूं, बल्कि मैं कई बार तो बैठे-बैठे सोच रहा था कि यदि मैं भी साधारण सदस्य होता और इस बिल पर यदि मुझे बोलना होता, तो क्या बोलता । फिर भी इस बिल में जिन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है, हम जब उन पर द्दष्टिपात करते है तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज हमें सरकार की तरफ से बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें आती-जाती रहती हैं, कभी कोई सत्ता में अदंर रहता है, कभी कोई बाहर जाता है, लेकिन देशवासियों और महिलाओं के प्रति जो जवाबदेही और जिम्मेदारी का एहसास करता है, मैं समझता हूं कि वह देश के विकास में अपनी भूमिका को महसूस करता है। महोदय, मैं आप के जरिए विनम्रतापूर्वक बताना चाहूंगा कि महिलाओं की भागीदारी, बल्कि सक्रिय भागीदारी कई क्षेत्रों में हों, यह आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है । इसीलिए मैंने इस पहल को एक सामयिक पहल निरूपित किया है । बालिकाओं के प्रति भेदभाव मिटाने संबंधी बिल पर इस सदन में जब श्रीमती प्रेमा करियप्पा जी बिल लाई थी, उस समय भी काफी बातें हुई थी, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है कि लिंग भेद के आधार पर पुत्र-पुत्रियों को समान अवसर मिले, इस बारे में हम सब को बहुत संवेदनशील होन जरूरी है और बहुधा इस संबंध में जो शिकायतें मिलती हैं , वे शिकायतें न मिल पाएं यह भी सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सरकारी नौकरी में महिलाओं का अनुपात कैसे बढ़ाया जाए, उस के लिए हम लोग विभिन्न पहुलओं पर जो Prescribed norms, हैं जो रूल्स हैं, उस परिधि के अदंर क्या-क्या किया जा सकता है, इस बारे में विचार कर रहे हैं। महिलाओं को रोजगार प्राप्ति के समय और रोजगार प्राप्ति के बाद किस प्रकार की तकलीफों को सहना पड़ता है, उनके सामने क्या दिक्कतें आती हैं, हम इस पर भी विचार कर रहे हैं । कई बार ऐसा देखने में आता है, कि रोजगार से पहले जिन महिलओं की शादी हो जाती है, उस के बाद जब उन्हें रोजगार लेने की बात होती है तो उन्हें कई प्रकार की परेशानियां से गुजराना पड़ता है, इस बात का भी हमें एहसास है । इसलिए उनके प्रिगनेंसी पीरिएड में उन्हें कितनी अवधि की छुट्टी मिलनी चाहिए, उस में किस प्रकार से और शिथिलता डाली जाए और कानून बनाएं, इस पर यह सरकार विचार कर रही है । महिलाओं को नौकरी प्राप्ति के लिए जो आयु-सीमा है, उसे भी किस प्रकार से और बढ़ाया जाए, इस बारे में भी सरकार विचार कर रही हैं । सरकार इस बारे में भी विचार कर रही हैं कि जब किसी रोजगार की प्राप्ति के लिए अर्हता और योग्यता का जिक्र होता है कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए तो जब एक्सपीरिएंस की बात होती है, अनुभव की बात होती है, तो उस अनुभव के मामले में महिलाओं को छूट दी जाए, इस पहूल पर भी सरकार विचार कर रही हैं । साथ ही यदि कांपेटीटर दो हैं और उन में एक मेल व एक फीमेल है तो उसमें प्राथमिकता कहां और किस ढंग से महिलाओं को दी जाए, इस मेल व एक फीमेल हैं तो उस में प्राथमिकता कहां और किस ढंग से महिलाओं को दी जाए, इस पहलू पर भी सरकार विचार कर रही हैं । महोदय, आज जब इस बिल पर चर्चा चल रही है तो इस अवसर का लाभ उठते हुए मैं आप के जरिए इस सदन को इन बातों से अवगत कराना चाहता हूं । हम यदि यह कहें कि आदिकाल में महिलाओं की किस प्रकार से मान और सम्मान की रक्षा की जाती थी, देश की आजादी में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, आजादी के बाद देश को विकास के रास्ते पर लाने में क्या भूमिका रही है तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि हम सभी इस बात से एकमत और सहमत होंगे कि उन की भूमिका सराहनीय रही है। लेकिन वह भूमिका केवल इतिहास के पन्नों तक ही सीमित न रह जाए। हम केवल रानी दुर्गावती और लक्ष्मीबाई का ही सम्मान से जिक्र न करें, हमें कल्पना चावला के रूप में भी उन्हें याद करना

पड़ेगा । हमें इस देश में ऐसी परिस्थितियां निर्मित करनी पड़ेगी ताकि महिलाएं एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में एक अच्छे पायलट के रूप में, एक अच्छे आर्मी ऑफिसर के रूप में देश के डवलपमेंट में किसी-न-किसी ढंग से पार्टिसिपेट कर सकें ।

साथ ही शहरी और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में जो फर्क महसूस होता है, उसमें भी उस अन्तर को कैसे कम किया जा सकता है तथा महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से समानता लाई जा सकती है उनकी वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए यह सरकार वचनबद्ध है और संकल्पबद्ध है ।

मान्यवर, मैं महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस सरकार के आते ही कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा से सरंक्षण अधिनियम, 2005 पारित किया गया है, ताकि महिलांए घर-परिवार में अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें । साथ ही हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 पारित किया गया है । सरकार ने एकल बालिका संतान को छात्रवृत्ति देना प्रारम्भ किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये वे सारे कदम उठाए गए हैं , जिसमें कि जब भी इस सदन में इस प्रकार के बिल आए हैं, तो हमारे सभी माननीय सदस्यों ने राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर इस प्रकार के बिलों का समर्थन किया है ।

महोदय, जिन अन्य सदस्यों ने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया है, मैं उनके नामों का भी उल्लेख करते हुए उनके प्रति धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं । श्री जनार्दन पुजारी जी ने इन्दिरा जी और राजीवजी के कार्यकाल में महिलाओं की बेहतरी के लिए जो कदम उठाए गए, राजीव जी के समय जो कंस्टिटयूशनल एमेंडमेंट बिल आए, पंचायत और नगर निगम तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, उन सब का उल्लेख किया है । हम दूसरे क्षेत्रों में आगे और क्या कदम उठा सकते हैं, वह निश्चित रूप से इस बात के लिए हमारे मार्ग प्रशस्त करेगा ।

आदरणीय श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा जी, सुश्री प्रमिला बोहीदार जी, डा0 प्रभा ठाकुर जी, श्री सुरेश भारद्वाज जी, श्री सुदर्शन नाच्चीयप्पन जी, आदरणीय गिल साहब, श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक जी, इन सबने इस बिल पर बोलते हुए काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से क्या सकारात्मक कार्रवाई की जा सकती है , इसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । हमने संविधान में जो 73वां और 74वां संशोधन किया है, उससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ी है । उससे जमीनी स्तर पर भी महिलाओं का जो योगदान रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता है । राजीव गांधी जी और इन्दिरा गांधी जी के कार्यकाल में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने और रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से जो विशिष्ट ऋणप योजनाएं प्रारंभ की गई थीं उनमें हम कैसे और वृद्धि कर सकते हैं, हम लोग इस बात पर भी विचार कर रहे हैं । महिलाओं की साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा दर का जिक्र किया गया है, मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि यदि हम 2001 की जनगणना देखें और आज की स्थिति देखें तो उसमें काफी वृद्धि हुई है ।

इस प्रकार ये वे सारी बाते हैं , जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा । लेकिन यह अवसर तब मिलता है, जब इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुआ करती है । इसीलिए मैंने श्रीमती माया सिंह जी के प्रति धन्यवाद न व्यक्त करके कृतज्ञता व्यक्त की है कि उन्होंने हमें वह

अवसर भी प्रदान किया है कि हम यह विचार करें कि महिलाओं का जीवन स्तर कैसे और बेहतर हो सके । यदि हम उस दिशा में कोई कदम उठाते हैं, तो कोई एहसान करने की बात नहीं है, बल्कि हम अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करेंगे, हम लोग ऐसा महसूस करते हैं । इसीलिए मैंने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है । मैं उनको यह आश्वासन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल को पुस्तुत करते समय जिन बातों का उल्लेख किया है और जिन दूसरे माननीय वक्ताओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उन भावनाओं को और उन बिन्दुओं को अत्यंत महत्व देता हूं । सरकार इस विषय में जो भी यथोचित कदम उठा सकती है, वह निश्चित रूप से उठाएगी और खुशी महसूस करेगी । इस अवसर पर मैं यही कह सकता हूं । सरकार की जो मंशा हैं, वह बहुत सकारात्मक है और हम इस दिशा में निश्चित रूप से एक सार्थक पहलू करेंगे।

इस आश्वासन के साथ और इस वचन के साथ, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय माया सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यद्यपि उनके बिल की मंशा बहुत अच्छी है और आज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह एक महत्वपूर्ण बिल है । चूंकि हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं , इसलिए इन सब बातों की पृष्ठभूमि में उनसे हमारी प्रार्थना है कि वह हमारी इस वचनबद्धता और संकल्पबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए अपना यह बिल वापस लें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : माया सिहं जी, आपको कुछ कहना है ।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, यह लोक नियोजन (महिलाओं के लिए आरक्षण) विधेयक, 2005 मेरे द्वारा 3 मार्च को इस माननीय सदन में रखा गया था, जिस पर विचार हुआ । इस विधेयक के संबंध में जितने भी हमारे सम्मानीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं , उन सभी माननीय सदस्यों की मैं दिल से आभारी हूं । माननीय जनार्दन पुजारी जी , जिन्होंने बहुत ही विस्तार से अपनी बात इस बिल के सदंर्भ में रखी । उन्होंने यह बताया कि किन-किन राज्यों में यह नियोजन है । राजनैतिक क्षेत्र में भी 33 प्रतिशत की आवश्यकता उन्होंने बताई और उन्होंने यह भी चिता जाहिर की कि आम-सहमति न बन पाने के कारण यह बिल अभी अधर में लटका हैं । यह जो पीड़ा उनके विचारों में झलकी हैं, यह जाहिर करती है कि वह महिलाओं के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं । इसलिए मैं उनका दिल से आभार मानती हूं ।

महोदय, माननीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी और बहन प्रमिला जी ने इस बिल के समर्थन में अपनी बातें रखी । इसके साथ ही बहन प्रभा ठाकुर जी ने भी, जो स्वयं एक महिला हैं और महिलाओं के हक के संबंध में अनेक बार अपना विषय उठाती रही है, उन्होंने भी इस बिल के पक्ष में अपनी बात रखी और इसके साथ ही उन्होंने जो महिलाओं को नौकरी में पदोन्नति के संबंध में आरक्षण की बात कही, वह अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाओं को इस तरह की दिक्कतों और परेशानियो का सामना उठाना पड़ता है । श्री सुरेश भारद्वाज जी, श्री ई.एम. सुदर्शन जी ने भी इस बिल पर बोलते हुए जो बातें रखी है, वे बिल्कुल सही है । मैं इन सबकी दिल से आभारी हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी गिल साहब को भी, जिन्होंने इस बिल पर बोलते हुए भ्रूण, हत्या के मामले में भी अपनी चिंता जाहिर की । सचमुच में यह स्थिति पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में चिंताजनक स्थिति है । अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है । इसी तरह से उन्होंने पुलिस और जुडिशियरी में 25 परसेंट महिलाओं की भागीदारी की बात कही है और हवा बदल देने वाली बात कही है, यह बिल्कुल सही बात है और ऐसा होना चाहिए । इसके साथ ही मैं शान्ताराम लक्ष्मण जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद देती हूं, लेकिन में यह कहना चाहूंगी कि मेरे इस बिल का मूल आधार जो है, वह समाज में बढ़ते असंतुलन को कम करना है। यह सच है और हम जानते हैं, कि परिवार में महिलाओं की महती जिम्मेदारी होती है, वह परिवार में गृहलक्ष्मी बनकर काम करती है, उनका समाज में एक सम्मानजनक स्थान है, लेकिन आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में जो पुराने मानदंड हैं, वे अपना स्वरूप खो चुके हैं, इसलिए आज महिलाएं केवल चूल्हा-चक्की तक ही सीमित रहे, यह संभव नहीं है । आज से 50 वर्ष पहले तो यह था कि महिलाओं के लिए उस वक्त उच्च शिक्षा का अभाव था और ज्यादा पढ़ी-लिखी न होने के कारण महिला को अपने परिवार पर निर्भर रहना पड़ता था। उस स्थिति में महिला के विधवा हो जाने या अन्य कारणो से, जैसे तलाक वगैरह की स्थिति में उनका जीवन दूभर हो जाया करता था, लेकिन आज देश में एक नया उजाला, एक नई रोशनी आ रही है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, ने केवल घर की जिम्मेदारी सभांल रही हैं बल्कि बाहर भी जो गला-काट प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा में भी अपने लिए स्थान बनाकर आगे बढ़ रही है । उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करके महिलाएं , जो सक्षम है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है । महिलाओं की अभिलाषा है कि जब देश तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है तो क्यों न हम भी सहायक बने । लेकिन कई क्षेत्रों में आगे आने के बाद भी नियोजन में उन्हें स्थान नहीं मिल पाता है । मैं अपने दौरे के दौरान अनेकों महिलाओं से, परिवारों से मिलती हूं, महिलाओं का सोचा यह है कि गरीब मां-बाप बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चियों को पढ़ा पाते हैं । पढ़ाने के बाद उनकी इच्छा होती है कि कहीं न कहीं उनकी बच्ची की जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए। वे कहते हैं कि इसके दो फायदे हैं – एक तो इससे वह बच्ची अपने पैरों पर खड़ी होती है, आत्मनिर्भर बनती है, दूसरे आजकल हम जब बच्चियों का विवाह करते हैं तो लोग मोटा दहेज मांगते है और यदि दहेज नहीं है तो पूछते हैं कि लड़की अपने पैरों पर खड़ी है या किसी नौकरी में है, अगर नौकरी में हो तो उसे अच्छे परिवार मिल जाते हैं । तो मां की पीड़ा दिल से बोल पड़ती है कि हम बच्चियों को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद भी अगर उसे घर-गृहस्थी का ही काम सभांलना है तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा है? पढ़ने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती , नौकरियों में स्थान नहीं मिलता, प्रतिस्पर्धा में वह टिक नहीं पाती और फिर यदि उसे वही घर-गृहस्थी का काम संभालना है, तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा है? यह जो मेरा बिल है, यह महिलाओं की इस पीड़ा को दूर करेगा ।

इसलिए यदि हम हृदय से, सच्चै हृदय से यह चाहते हैं कि हमारा देश शक्तिशाली बने.तो हमें पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं को भी लोक नियोजन में आगे लाने की व्यवस्था करनी होगी । समाज में पिछड़े वर्गो के लिए तो आरक्षण है – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गो के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि महिलाओं को इस बिल की भावना के अनुरूप अगर आरक्षण मिलता है, तो उनके लिए यह मील का पत्थर साबित होगा।

इसी तरह से इस समाज और देश के पिछड़ेपन के पीछे जो निहित कारण हैं, उनमें एक सबसे बड़ा कारण है, उपसभाध्यक्ष जी, महिलओं का कमजोर होना और दूसरों पर आश्रित होना । यही वह स्थिति है जिससे हमारे यहां कई प्रकार की सामाजिक विसंगतियां भी पनपती हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है।

इसलिए मैं आज इस बिल के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि आज महिलाएं जिस शोषण, उत्पीडन और अत्याचार की शिकार होती है, उन्हें इसका शिकार केवल इसलिए होना पड़ता है कि वे महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वह घर की चारदीवारी में कैद रहती हैं। उसके पास क्षमता है, शिक्षा है, सब कुछ है, लेकिन उसका उपयोग, उसको प्रदर्शित करने का यदि उसे अवसर न मिले तो वह सब बेकार है।

इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि कुल आबादी का आधा हिस्सा होने के बावजूद भी महिला को एक बोझ के रूप में लिया जाता है, अर्थार्जन के पर्याप्त अवसर उसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिहाजा वह समाज के हाशिए पर पड़ी रहती है और उसकी प्रतिभा का उपयोग समाज निर्माण में नहीं हो पाता है, नीति निर्धारण में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए महोदय, लोक नियोजन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और आज मैं इस सदन के सामने यह कहूंगी कि बिना विल्म्ब किए, मंत्री जी से मेरा आग्रह है, इस संबंध में इस विधेयक को मजूंर करते हुए महिलाओं के लिए लोक नियोजन में आरक्षण का कानून बनाया जाए। इसके लिए सरकार अपने माध्यम से पहल करे।

महोदय, स्वतंत्रता के बाद से जो महिलाओं के दुख है, तकलीफ हैं, उनके निराकरण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, बहुत सारे बिल भी बने हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि महिलाएं अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए मैं अपनी इस बात को फिर से इस सदन में दोहरा रही हूं कि लोक नियोजन में उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं यह आग्रह करना चाहती हूं कि राष्ट्रहित में और महिलाओं के हित में यह बिल बहुत आवश्यक है। यद्यपि मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि वे इसके समर्थन में सार्थक पहल करेंगे कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं का अनुपात बढ़ाया जाए, उनकी स्थिति में सुधार हो। मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं उनसे यही कहूंगी यही कहूंगी कि जो बिल मैं लाई हूं, लाखों, महिलाओं की पीड़ा को मैने इस बिल के माध्यम से व्यक्त किया है। इसलिए मैं मंत्री जी से विशेष आग्रह करती हूं कि चिंता के साथ, ऐसा न हो कि आवश्वासन देने के बाद फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। आपने जो आश्वासन दिया है, उसके ऊपर विश्वास करते हुए, यह जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है, मैं उसे वापस लेती हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : श्रीमती माया सिंह जी, क्या आप विधेयक को वापस ले रही हैं, अथवा मैं प्रस्ताव पर मत लूं।

श्रीमती माया सिंह : जी हां, मैं वापस लेती हूं।

The Bill was, by leave, withdrawn.

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : अभी इसके बाद श्री संतोष बागड़ोदिया जी का बिल आना था, किन्तु वह नहीं है। श्री सी. पेरूमल जी भी नहीं है। डा0 (श्रीमती) नजमा ए0 हेपतुल्ला जी भी नहीं हैं।

Now, we take up the Constitution (Amendment) Bill, 2004 (Amendment of articles 341 and 342). Shri Silvius Condpan to move a motion for consideration of the Constitution Amendment Bill, 2004.